न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 68/2021

दायर दिनांक – 22.11.2021

निर्णय दिनांक – 03.12.2021

जीसीएमएस नं0 – 2021/182

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री रामदयाल जी गुरू स्वामी श्री 1008 श्री महाराज आचार्य अन्तर्राष्ट्रीय रामस्नेही सम्प्रदाय एवं अध्यक्ष श्री रामनिवास धाम ट्रस्ट मुख्य पीठ शाहपुरा जिला भीलवाड़ा हाल निवासी पुष्कर जरिये मुख्तयारआम सन्त श्री जगबल्लभराम चेला स्वामी रामदयाल जी महाराज हाल निवासी रामद्वारा पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री अशोक कुमार राव, अधि0, प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार, पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजियात के वर्तमान खसरा नम्बर 854 रकबा 0.43 हैक्ट. गत खसरा नम्बर 248 मिन की चौसाला नक्शा ट्रेस सन् 1976 व 1984–85 के अनुसार वर्तमान नक्शे में दुरूस्ती की जाकर खसरा नम्बर 854/2740 प[illegible] खसरे में से हटाकर नक्शा ट्रेस मे सही स्थान पर दुरूस्त तरमीम किये जा[illegible] प्रस्तुत किया [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:36:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता [illegible] प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने [illegible] किया है कि ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर में अवस्थित आराजी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 854 रकबा 0.43 हैक्ट. है। उक्त आराजी के वर्तमान खाता सं. 439 में रामदयाल महाराज चेला आचार्य श्री

03.12.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

...किशोर जी महाराज हिस्सा पूर्ण साहिन रामस्नेही सम्प्रदाय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा खातेदार अंकित है। परन्तु वर्तमान नक्शे में खसरा नम्बर 854 के दक्षिणी ओर गलत रूप से खसरा नम्बर 854/2740 बटा नम्बर डालते हुए नगर पालिका के नाम दर्ज कर दिया गया है जबकि पुराने नक्शा सन् 1976 में तथा 1984–85 में कही पर भी उक्त अंकन नहीं है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार पुष्कर को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 01 तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/2477 दिनांक 02.12.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि **"ग्राम पुष्कर के वर्किंग खसरा नम्बर 248 के हाल खसरा नम्बर 854 व 854/2740 बने है। वर्तमान राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 854 उत्तर दिशा की तरफ एवं खसरा नम्बर 854/2740 दक्षिण दिशा की तरफ दर्ज है। जबकि मौके स्थिति अनुसार खसरा नम्बर 854 पश्चिम दिशा की ओर एवं खसरा नम्बर 854/2740 पूर्व दिशा की ओर अवस्थित है। वर्किंग से नवीन मानचित्र तैयार करते समय भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सहवन से विपरीत दिशा में दर्ज तरमीम को रिपोर्ट पटवारी अनुसार खसरा नम्बर 854 को मौका स्थिति अनुसार पश्चिम एवं खसरा नम्बर 854/2740 को पूर्व दिशा की ओर तरमीम किया जाना उचित है।"**

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र/सहमति पत्र इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित प्रार्थी के आराजी कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 854 को मौका स्थिति अनुसार पश्चिम एवं खसरा नम्बर 854/2740 को पूर्व दिशा की ओर तरमीम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:36:59 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित प्रार्थी के आराजी कृषि भूमि के वर्तमान खसरा

03.12.21

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

नम्बर 854 को मौका स्थिति अनुसार पश्चिम एवं खसरा नम्बर 854/2740 को पूर्व दिशा की ओर वर्तमान राजस्व नक्शा में दुरूस्ती कर तरमीम किया जावें (संलग्न नक्शा ट्रेस को निर्णय का भाग समझा जावें)। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस)
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:36:59 IST
Reason: SelfAttested